

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021	
---	--	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/349/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	06/ RTI/2021-2022
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपीन कुमार शर्मा/ Shri Bippin Kumar Sharma, सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	06.07.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री मैन्नन राय, टैक्सअल, प्रधान डाकघर, रोड, पोस्ट ऑफिस:- मिनापोरे, पश्चिम बंगाल, पिनकोड 721101 Shri Mainan Ray, Taxall, Head Post Office Road, Post office Midnapore - West Bengal,- Pin: 721101

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.



Reach us at
<http://www.cgstgandhinagar.go>



Follow us@cgst_gnr

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय गांधीनगर 2री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO
INFORMATION ACT,2005**

श्री मैनन राय, टैक्सअल, प्रधान डाकघर, रोड, पोस्ट ऑफिस:- मिनापोरे, पश्चिम बंगाल, पिनकोड:-721101 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन दाखिल किया है, जो की केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी अहमदाबाद क्षेत्र, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को सतर्कता महानिदेशालय अहमदाबाद आंचलिक इकाई द्वारा उनके फाइल संख्या File No.DGoV/RTI/APPL/6/2021-Tech दिनांक 24.05.2021 को प्रेषित किया गया था। इस आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण संख्या. DGVND/R/X/21/00001 दिनांक 07.04.2021 है। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं.GCCO/RTI/APP/383/2021-Techs दिनांक 25.05.2021, सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय



Reach us at
<http://www.cgstgandhinagar.go>



Follow
us@cgst_gnr

उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), २००५ की धारा 6(3) के तहत दिनांक 31.05.2021 को प्राप्त हुआ है।

Shri Mainan Ray, Taxall, Head Post Office Road, Post office Midnapore - West Bengal:- Pin: 721101 has filed an online RTI application No. DGVND/R/X/21/00001 dated. 07.04.2021. The said application was transferred to this office from the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015 which was forwarded to them from Directorate General of Vigilance, Ahmedabad Zonal Unit vide their letter File No.DGoV/RTI/APPL/6/2021-Tech dated 24.05.2021. The said application has been received with the letter F.No.GCCO/RTI/APP/383/2021-TECH dated 25.05.2021 of Assistant Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone on 31.05.2021 as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005 for submitting the reply of the application directly to the applicant.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है।

In this regard, the required information in respect of point no. 10 and 11 of your RTI application may please be treated as nil for HQ office CGST Gandhinagar.

त्वरित डाक/रजिस्टर ए डी द्वारा
By Speed Post/Regd.AD

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer,

सी.पी.आई.ओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा मे, To
श्री मैनन राय, टैक्सअल,
प्रधान डाकघर, रोड, पोस्ट ऑफिस:- मिनापोरे,
पश्चिम बंगाल, पिनकोड 721101

Copy to: -

1. सहायक आयुक्त आयुक्त (सीपीआईओ) (केंद्रीय लोक सूचना का अधिकार),
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय की फ़ासं.GCCO/ RTI /APP /383/2021 -Tech
दिनांक 25.05.2021 के संदर्भ में जानकारी हेतु



Reach us at
<http://www.cgstgandhinagar.go>



Follow
us@cgst_gnr

2. सहायक आयुक्त (प्रणाली) केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



Reach us at
<http://www.cgstgandhinagar.go>



Follow
us@cgst_gnr